

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 34 / 2016

दर्ज दिनांक:—04.04.2016

1. गुड्डू पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी खडवाई तहसील किरावली व जिला आगरा।
2. वीरेन्द्र } पिसरान गुड्डू नाबालिगान व विलायत पिता गुड्डू पुत्र त्रिलोकसिंह जाति
3. दीपक } ठाकुर निवासी खडवाई तहसील किरावली व जिला आगरा।

.....वादीगण

बनाम

1. त्रिलोक सिंह पुत्र भूपसिंह निवासी खडवाई तहसील किरावली व जिला आगरा।
2. पूरनदेई पत्नी त्रिलोक सिंह निवासी खडवाई तहसील किरावली व जिला आगरा।
3. प्रताप सिंह पुत्र त्रिलोक निवासी खडवाई तहसील किरावली व जिला आगरा।
4. मु० चांदनी पत्नि चैरा पहलवान पुत्री त्रिलोक ठाकुर साकिन परसारा जिला हाथरस।
5. तहसीलदार भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित:

वादीगण अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—28.01.2019

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके अभिभाषक को कई बार आवाज लगवाई गई किंतु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण इसी Stage पर अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर